पीठासीन पदाधिकारी का नाम :– राधे श्याम शुक्ल

न्यायालय – जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

स्वत्व अपील संख्या–32/2022

रीता पांडेय ———— **अपीलार्थी**

बनाम्

शशि पांडेय एवं अन्य ———— **उत्तरवादीगण**

21–06–2024

अपीलार्थी की ओर से हाजिरी दी गयी। उनकी ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 के अंतर्गत संशोधन आवेदन शपथपत्र के साथ दाखिल किया गया। पुकार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके अनुरोध पर अपीलार्थी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पर सुनवाई की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि अपीलार्थी की ओर से दाखिल अपील ज्ञाप में अधिवक्ता के भूल के कारण कंडिका 7 में ''203'' के जगह पर ''208'' अंकित हो गया है, जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, कंडिका 2 में संख्या ''13, 14, 15'' को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर ''12, 13, 14'' एवं कंडिका 6 में संख्या ''13'' को विलोपित कर संख्या ''12'' जोड़ा जाना अतिआवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। अपीलार्थी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को स्वीकृत कर आवेदन में वर्णित प्रस्तावित संशोधन को अपील ज्ञाप आवेदन में दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वत्व अपील विद्वान अवर न्यायाधीश–पंचम, भभुआ द्वारा स्वत्व वाद संख्या–70/2008 में पारित निर्णय दिनांक

लगातार .....

पीठासीन पदाधिकारी का नाम :– राधे श्याम शुक्ल

न्यायालय – जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

स्वत्व अपील संख्या–32/2022

रीता पांडेय ———— **अपीलार्थी**

बनाम्

शशि पांडेय एवं अन्य ———— **उत्तरवादीगण**

लगातार .....

21–06–2024 31–07–2012 एवं डिक्री दिनांक 09–08–2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलार्थी की ओर से एक संशोधन आवेदन दिनांक 21–06–2024 को दाखिल कर अपील ज्ञाप में अधिवक्ता के भूल के कारण हुई त्रुटियों के संशोधन की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन में वर्णित प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है एवं उक्त संशोधन से प्रस्तुत स्वत्व अपील की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है और अपीलार्थी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन शपथ पत्र द्वारा सम्पुष्ट है। प्रस्तुत मामले की वर्त्तमान सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 21–06–2024 को न्यायहित में स्वीकृत करते हुए प्रस्तावित संशोधन को अपील ज्ञाप में दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि विहित समय के भीतर अपील ज्ञाप में प्रस्तावित संशोधन को दर्ज करें।

अभिलेख दिनांक 24–07–2024 वास्ते उत्तरवादीगण के उपस्थिति हेतु।

(लेखापित)

ह0/–

जिला न्यायाधीश